उद्योग विभाग के अन्तर्गत चल रही विभिन्न योजनाओं का विवरण

जिला उद्योग केन्द्र सुलतानपुर, सिविल लाइन में स्थित है। जिले स्तर पर इस कार्यालय के नियंत्रक अधिकारी महा प्रबन्धक, परिक्षेत्रीय स्तर पर नियंत्रक अधिकारी संयुक्त निदेशक उद्योग तथा प्रदेश स्तर पर नियंत्रक अधिकारी आयुक्त एवं निदेशक उद्योग कार्यरत हैं। इस जिले में 6 तहसीलों सहित सभी 23 विकास खण्ड एवं ाहरी क्षेत्रों के फील्ड कार्य को सुचारु रुप से सम्पन्न करानें हेतु इस कार्यालय में तैनात 5 सहायक प्रबन्धकों एवं एक एस0आई0 में आवंटित कर कार्य करनें हेतु निर्देशित किया गया है।

औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं में उद्योग विभाग द्वारा विकसित ग्रामीण औद्योगिक आस्थान सुलतानपुर तथा मिनी औद्योगिक आस्थान कादीपुर व कूरेभार हैं। इसके अतिरिक्त यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर एवं टिकरिया हैं। औद्योगिक क्षेत्र त्रिसुण्डी में विकास कार्य किया जा रहा है। विवरण निम्नवत् हैः–

1– ग्रामीण औद्योगिक आस्थान सुलतानपुर में 5 ेड व 18 प्लाट हैं जो सभी आवंटित एवं कार्यरत हैं।

2– मिनी औद्योगिक आस्थान कादीपुर में 45 प्लाट हैं, जो सभी आवंटित है। इकाई स्थापना की कार्यवाही चल रही है।

3– मिनी औद्योगिक आस्थान कूरेभार में 74 प्लाट हैं जिनमें से 15 प्लाट आवंटित हैं। शे ा 59 प्लाट रिक्त हैं, जिनके आवंटन एवं इकाई स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।

4– औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर 1700 एकड भूमि में यूपीएसआईडीसी द्वारा विकसित किया गया है जिसमें बीएचईएल एवं इण्डोगल्फ सहित लगभग 35 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। औद्योगिक क्षेत्र टिकरिया में एसीसी, दाल मिल, राइसमिल स्थापित है।

2– उपादान

आर्थिक वैश्वीकरण एवं विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण एवं उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में सूक्ष्म एवं लधु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करनें के उद्देश्य से निम्न सुविधायें/उपादान ाासन द्वारा दी गई हैं:–

लधु औद्योगिक इकाइयों को राज्य पूॅजी उपादान

ाासनादेश सं0 793/18–5–2000–8(जी–17)2004 दिनांक 09–06–2006 से राज्य पूॅजी उपादान योजना प्रारम्भ की गई है जो दिनांक 31–03–08 तक प्रभावी रहेगी। इसके अन्तर्गत नई इकाइयां योजना लागू होनें की तिथि से प्रभावी कदम एवं वर्तमान इकाई योजना लागू होनें के पूर्व उठाई हो(प्रभावी कदम से तात्पर्य भूमि ले ली गई हो, मशीन/संयंत्र की आपूर्ति आदेश दिया गया हो अथवा वित्तीय संस्था/रा ट्रीयकृत बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदनपत्र प्रे ित कर दिया गया हो।)

स्थापित होनें वाली इकाइयों को नियमों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत राज्य पूॅजी उपादान अधिकतम रु0 5–00 लाख अनुमन्य होगी तथा अनु0जाति/जनजाति एवं महिलाओं द्वारा स्थापित इकाईयों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूॅजी उपादान कुल 15 प्रतिशत अधिकतम् 7–50 लाख अनुमन्य होगी।

व्याज उपादान योजना–

ाासनादेश सं0 82/18–5–2006–9(जी–1)2004 दिनांक 24–1–07 द्वारा लधु उद्योग व्याज उपादान योजना लागू है। लधु औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापनार्थ भूमि,भवन,प्लांट एवं मशीनरी की व्यवस्था हेतु वित्तीय संस्था से प्राप्त सावधि ऋण पर देय साधारण व्याज के विपरीत उद्योग विभाग द्वारा इकाइयों के उपादान के 5 व ाों के लिये रु0 50000–00 प्रति व ा कुल रु0 2–50 लाख की सीमा तक 5 प्रतिशत वा िक व्याज की छूट दी जायेगी। इस योजना का प्रचार–प्रसार किया गया है परन्तु अभी तक एक भी आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उ0प्र0 ूक्ष्म एवं लधु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से ाासनादेश संख्या–26/18–2–2007–30(26)/2003 दिनांक 16–01–07 द्वारा उ0 प्र0 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना बनाई गई है। जिसका विवरण निम्नवत् हैं

1– तकनीकी खरीद एवं आयात– मान्यता प्राप्त/सक्षम संस्थानों सरकारी संस्थाओं और ोध केन्द्रों से प्राप्त करने में व्यय की गई धनराशि का 50 प्रतिशत उपादान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 2.50 लाख होगी।

2– आधुनिकीकरण हेतु मशीन तथा संयंत्र– उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु वॉछित अतिरिक्त मशीनों आदि की व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत पूँजी उपादान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 2.00 लाख होगी।

3– मशीन उपकरण हेतु प्राप्त ऋण पर ब्याज की छूट– उपरोक्त प्रस्तर–2 में अंकित क्रय की गई मशीनों एवं उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैंकों से ऋण लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को देय ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति करते हुए उपादान देय होगा। ब्याज उपादान 5 प्रतिशत वार्ि ाक की दर से दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा 50,000–00 होगी तथा यह सुविधा 5 व र्ा तक दी जायेगी।

4– आई0 एस0 आई0/आई0 एस0 ओ0 मानकीकरण हेतु प्राप्त किये जाने की दशा में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपादान के रूप में देय होगा जिसकी अधिकतम् सीमा 2.00 लाख देय होगी।

5– कन्सल्टेन्सी सहायता– उत्पादकता कौशल/बाजार तथा तकनकी के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओ से परामर्श प्राप्त किये जाने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इस व्यय की 90 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रू0 50000–00 तक अनुदान देय होगा।

उपरोक्त सुविधाये निम्न ार्तों के अधीन देय होंगी।

क– ऐसी इकाइयॉ जो आवेदन के समय कम से कम तीन व र्ा से उत्पादनरत हों एवं तकनीकी उन्नयन की इच्छुक हों पात्र होंगी। पात्र नई स्थापित इकाइयों को यह सुविधा देय नहीं होगी।

ख– योजनान्तर्गत प्राप्त सुविधा/अनुदान प्राप्त करने के 5 व र्ा की अवधि के अन्दर यदि इकाई बन्द होती है तो योजना के अन्तर्गत प्रदत्त समस्त सुविधा/अनुदान इकाई को वापस करने होंगे। इसकी वसूली राजस्व नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

घ– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम के अधीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की निर्धारित सीमा तक पूँजी निवेश किये जाने वाली इकाइयों को इस योजना के तहत सुविधायें दी जायेंगी।

बीमार इकाई–

ाासनादेश सं0 929/18–2–4/88 दिनांक 9–6–2006 के अनुसार ऐसी इकाइयां जिसका किसी ऋण खाते का मूलधन या व्याज एक व र्ा अधिक से अतिदेय रहा हो तथा इकाई कम से कम 2 व ाों तक व्यावसायिक उत्पादन में रही हो। ऐसी इकाईयों द्वारा निर्धारित प्रारुप पर विगत 3 व ाों की आडिटेड बैलेंश सीट आदि के साथ महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र एवं प्रमुख वित्तीय संस्थाओं को प्रेि ात की जायेगी। तत् संबंधी परीक्षणोपरान्त यदि रुग्ण एवं रुग्णोन्मुख योग्य इकाई है तो संस्तुति सहित महा प्रबन्धक एवं परिक्षेत्रीय संयुक्त निदेशक उद्योग के माध्यम से मण्डलीय पुर्नवासन समिति में रखकर रुग्ण घोि ात कराकर अपरेटिंग वित्तीय एजेन्सी द्वारा पुर्नवासन पैकेज तैयार कराकर इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना में अभी तक एक भी इकाई का आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना–

स्वरोजगार योजनान्तर्गत अखिलभारतीय स्तर की महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है जिसकी नोडल एजेन्सी जिला उद्योग केन्द्र है।

पात्रता–

शिक्षित बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों हेतु निम्न मापदण्ड निर्धारित किया गया है:–

1– अभ्यथी कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो
2– अभ्यर्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। भूतपूर्व सैनिक/महिला/अनु0जाति/जनजाति/विकलांग
हेतु आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।
3– अभ्यथी के परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतो से रु. 1–00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहीये।
4– अभ्यर्थी किसी भी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये।
5– अभ्यर्थी कम से कम तीन वर्षों से उस क्षेत्र का निवासी हो।
6– योजना की लागत व्यवसाय एवं सेवा हेतु अधिकतम रु0 2–00 लाख तथा उद्योग हेत रु0 5–00 लाख
फाइनेन्सिंग की व्यवस्था है।
7– अनुदान प्रोजेक्ट कास्ट का 15 प्रतिशत अधिकतम रु0 12500–00 का प्राविधान है।
8– मार्जिनमनी परियोजना लागत का कम से कम 5 प्रतिशत से 16–5 प्रतिशत तक मार्जिन मनी का प्राविधान किया
गया है। परन्तु मार्जिनमनी एवं उपादान प्रोजेक्ट कास्ट का 20 प्रतिशत के बराबर हो।

योजना की प्रगति

	वर्ष 2006–07	2007–08(सितम्बर 07 तक)
1– लक्ष्य	1012	1063
2– प्रेषित	1677	940
3– स्वीकृत	1105	512
4– वितरित	1025	362

एकल मेज व्यवस्था

औद्योगिक इकाइयों को त्वरित गति से स्वीकृतियां प्रदान करनें हेतु शासन द्वारा एकल मेज व्यवस्था का गठन किया गया है, जिसकी नोडल एजेन्सी जिला उद्योग केन्द्र है। इस योजना में एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना से संबंधित समस्त प्रकार के आवेदनपत्र उपलब्ध है, जिन्हें उद्यमी भरकर जिला उद्योग केन्द्र में देता है तथा संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार को जिला उद्योग केन्द्र पहुंचकर आवेदनपत्रों की जांच करेंगें तथा सही आवेदनपत्रों पर नियमानुसार समयबद्ध स्वीकृतियां जारी करायेंगें। इसका अनुश्रवण प्रत्येक माह जिला उद्योग बन्धु की बैठक जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय हैं, में किया जाता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस योजनान्तर्गत शीघ्र ही दो साप्ताहिक का दो कार्यक्रम एन0जी0ओ0(यूपिको कानपुर)को कार्यक्रम आयोजित करनें हेतु मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके चयन आदि की कार्यवाही की जा रही है। प्रति कार्यक्रम में रु0 30000–00 का नियमानुसार व्यय किये जानें का प्राविधान है। इसमें प्रशिक्षार्थियों की कम से कम 30 संख्या निर्धारित है।

उपरोक्त के संबंध में विस्तृत जानकारी महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क कर जानकारी की जा सकती है। सुलभता हेतु कार्यालय के दूरभाष नं0 05362–240253 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
सुलतानपुर